फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 49/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/53)
श्री दीपक गौतम व अन्य बनाम श्रीमती रामकंवरबाई व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री लोकेश मेनारिया - वकील अपीलार्थी
2. अनुपस्थित - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2
3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-3

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, बप्रकरण संख्या 04/2015 निर्णय दिनांक 11.07.2016 (अनवान रामकंवर बनाम सत्यनारायण)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.11.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, बप्रकरण संख्या 04/2015 निर्णय दिनांक 11.07.2016 (अनवान रामकंवर बनाम सत्यनारायण) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती रामकंवर शर्मा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा समक्ष ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और कथन किया कि उक्त नामान्तरकरण पारित किये जाने वक्त मृतक खातेदार श्री बजरंगलाल को ला-औलाद फौत होना बताकर उनका विरासत का नामान्तरकरण उनके भाई श्री रामस्वरूप के पुत्र श्री सत्यनारायण के नाम स्वीकृत किया जबकि वह (रामकंवर) मृतक श्री बजरंगलाल की एक मात्र जीवित पुत्री है, जिससे उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था। ग्राम पंचायत बडोदिया ने मृतक श्री बजरंगलाल के वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण निर्णित कर दिया। अतः ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 को निरस्त फरमा कर उसके नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें।
- उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा दर्ज रजिस्टर कर, उक्त प्रकरण को न्याय आपके द्वारा कैंप मुकाम झरझनी में रखी जाकार, निर्णय दिनांक 11.07.2016 से स्वीकार फरमाया जाकर आलौच्य नामान्तरकरण 622 दिनांक 12.02.1987 को निरस्त किया और जमाबंदी संवत 2072-2075 के खसरा संख्या 325 में अंकित खातेदार सत्यनारायण पि. बजरंगलाल का नाम विलोपित किया जाकर इसके बजाय जमाबंदी में रामकंवर बाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि स्व. रामनारायण जाति ब्राहम्ण हि. 1/3 अंकित करने का आदेश तहसीलदार रावतभाटा को दिया गया।

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 49/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/53) **श्री दीपक गौतम व अन्य बनाम श्रीमती रामकंवरबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 08.06.2022 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 12.10.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-3 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित। अन्य पक्षकार बाद सम्यक् तामिल अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस दिनांक 12.10.2022 को सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि राजस्व ग्राम झरझनी में आराजी संख्या 807 रकबा 6.9600 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो मूल पुरूष बजरंगलाल जी नाम दर्ज रेकर्ड थी। श्री बजरंगलाल के ला-औलाद मृत्यु हो जाने एवं बजरंग लाल द्वारा अपने जीवनकाल में सत्यनारायण को गोदपुत्र रखने से श्री बजरंगलाल के फौत होने उपरान्त तत्कालीन ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 पारित किया गया। तब से उक्त भूमि पर अपीलार्थी के पिता श्री सत्यनारायण एवं उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थी लगातार काबिज होकर कृषि कर रहे है। श्रीमती रामकंवर द्वारा दिनांक 06.07.2015 को करीब 28 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद बाधित अपील प्रस्तुत की और अपनी पुत्री बताकर श्री सत्यनारायण का मृतक बजरंगलाल से कोई संबंध नहीं होना बताया। अपील दर्ज होने के बाद पत्रावली वास्ते जवाब चल रही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में यह पत्रावली रख कर प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। उक्त कैंप कोर्ट में न तो अपीलार्थी उपस्थित था, न ही प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित हुआ। पत्रावली पक्षकारों को बिना सूचित किये बिना कैंप कोर्ट में रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ सलंग्न धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया जो एक विधिक त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय केवल मात्र राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत सरसरी तौर पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के पिता श्री सत्यनारायण की दिनांक 23.05.2021 को मृत्यु हो जाने तक उन्हें निर्णय की कोई जानकारी नहीं हुई क्योंकि राजस्व अभिलेखों में निर्णय की पालना में अमल दरामद नहीं हुआ, जब अपीलार्थीगण द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने की कार्यवाही की गई, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। **प्रत्यर्थी-3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 49/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/53) **श्री दीपक गौतम व अन्य बनाम श्रीमती रामकंवरबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2022 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया जिससे न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम झरझनी में आराजी संख्या 807 रकबा 6.9600 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो मूल पुरूष बजरंगलाल जी नाम दर्ज रेकर्ड थी। श्री बजरंगलाल के ला-औलाद मृत्यु हो जाने एवं बजरंग लाल द्वारा अपने जीवनकाल में सत्यनारायण को गोदपुत्र रखने से श्री बजरंगलाल के फौत होने उपरान्त तत्कालीन ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध श्रीमती रामकंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा दर्ज रजिस्टर कर, उक्त प्रकरण को न्याय आपके द्वारा कैंप मुकाम झरझनी में रखी जाकर, निर्णय दिनांक 11.07.2016 से स्वीकार फरमाया जाकर आलौच्य नामान्तरकरण 622 दिनांक 12.02.1987 को निरस्त किया और जमाबंदी संवत 2072-2075 के खसरा संख्या 325 में अंकित खातेदार सत्यनारायण पि. बजरंगलाल का नाम विलोपित किया जाकर इसके बजाय जमाबंदी में रामकंवर बाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि स्व. रामनारायण जाति ब्राहम्ण हि. 1/3 अंकित करने का आदेश तहसीलदार रावतभाटा को दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील पेश की गई। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील में प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया कि श्रीमती रामकंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आलौच्य नामान्तरकरण के विरूद्ध 28 वर्ष बाद अपील पेश की गई। अपील के साथ श्रीमती रामकंवर द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विनिश्चय किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया जबकि सर्वप्रथम उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावें एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 49/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/53) **श्री दीपक गौतम व अन्य बनाम श्रीमती रामकंवरबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा 28 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। ऐसे में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2016 उक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में विधिक त्रुटि से ग्रसित है। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील में दुसरा प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील वास्ते जवाब दिनांक 28.03.2016 को वास्ते जवाब नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारान को सूचित किये बिना, नोटिस/सम्मन दिये बिना पत्रावली कैंप कोर्ट में रख कर, जहां भी कोई पक्षकार उपस्थित नहीं था, पत्रावली को निर्णित कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरित है। अपीलार्थी के उपरोक्त उज्र के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैंप कोर्ट में रखे जाने से पूर्व कोई नोटिस/सूचना पत्र पक्षकारान को प्रेषित किया हो। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्व न्यायालयों द्वारा लगाई जाने वाली लोक अदालतों संबंधी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 13.08.1999 को जारी किये जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी को संबंधित पक्षकारान/अधिवक्ता पक्षकारान को लोक अदालत के संबंध में समुचित तामिल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 13.08.1999 की पालना नहीं की गई और संबंधित पक्षकारों पर समूचित तामिल की कार्यवाही नहीं की गई। न ही लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रकरण का निस्तारण किया गया जिससे पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 11.07.2016 समर्थन योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश बनाम फुलवती में पारित निर्णय (2016(1) आरआरटी 29) में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि- Hindu Succession Act, 1956 – Sec.6 (As amended by the Act of 2005) – Right of the daughter in the property – High Court held that amendment is retrospective and applicable to pending proceedings – Law is clear that amendment is prospective – Held, Judgement passed by the High Court is set aside and case remanded to the High Court for deciding afresh. उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा-6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन भविष्यलक्षी है और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 49/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/53) **श्री दीपक गौतम व अन्य बनाम श्रीमती रामकंवरबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो व्यवहार पूर्व में संपादित किये जा चुके है, उन पर प्रभावी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में श्री बजरंग लाल द्वारा अपने जीवनकाल में सत्यनारायण को गोदपुत्र रखने से श्री बजरंगलाल के फौत होने उपरान्त तत्कालीन ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 पारित किया गया, जिस पर पूर्ण जांच किये जाने का अंकन किया गया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के परिपेक्ष्य में श्रीमती रामकंवर के हक में नामान्तरकरण पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का विनिश्चय नहीं किया जबकि उनके समक्ष श्री रामकंवर द्वारा असाधारण विलम्ब 28 साल बाद अपील पेश की। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना अनुरूप अपेक्षित कार्य एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालना नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-6 में वर्ष 2005 के किये गये संशोधन का माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में अध्ययन एवं परिक्षण नहीं किया गया। ऐसे में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2016 निरस्तनीय योग्य होने से इसका समर्थन किया जाना उचित नहीं समझते है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा का निर्णय दिनांक 11.07.2016 अपास्त किया जाता है और आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 12.02.1987 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	